

## कार्डमेम्बर अग्रीमेंट

नवीनतम कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के लिए कृपया [www.rblbank.com](http://www.rblbank.com) पर जाएं



# कार्डमेम्बर अग्रीमेंट

यह अग्रीमेंट आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड और कार्डमेम्बर के बीच निष्पादित किया गया है।

## 1. परिभाषा

- 1.1 आवेदक का मतलब वह व्यक्ति होगा जो आरबीएल (RBL) बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहता है।
- 1.2 "आरबीएल (RBL) बैंक क्रेडिट कार्ड" या "क्रेडिट कार्ड" या "कार्ड" या "कार्ड नंबर" का मतलब आरबीएल (RBL) बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सहित एक मान्य क्रेडिट कार्ड होगा जिससे कार्डमेम्बर, पूर्व-निर्धारित क्रेडिट लिमिट के साथ कार्ड एकांट का उपयोग कर सकता है।
- 1.3 "अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड" या "एड-ऑन क्रेडिट कार्ड" का मतलब प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर अतिरिक्त कार्डमेम्बर को जारी किया गया क्रेडिट कार्ड होगा।
- 1.4 "अतिरिक्त कार्डमेम्बर" का मतलब वह व्यक्ति होगा जो भारत का निवासी है और प्राथमिक कार्डमेम्बर का करीबी रिश्तेदार है, जैसे कि पति या पत्नी, भाई, बहन, माता-पिता और बच्चे और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा और जिसका शुल्क, प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर के कार्ड एकांट से वसूला जाएगा।
- 1.5 "बैंक, हम, हमें, हमारा" या इसी तरह के सर्वनामों का मतलब, परिस्थिति के अनुसार आरबीएल (RBL) बैंक, उसके उत्तराधिकारी, असाइन, प्रबंधक, लिक्विडेटर, नामांकित व्यक्ति आदि होगा।
- 1.6 "बिलिंग चक्र" का मतलब क्रमिक बिलिंग स्टेटमेंट तैयार करने के बीच की अवधि होगी।
- 1.7 "कार्डमेम्बर", प्राथमिक कार्डमेम्बर", "मेम्बर", "ग्राहक", आप, आपका, वह, उसका, या इसी तरह के सर्वनामों का मतलब वह व्यक्ति होगा जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है और कार्ड एकांट बनाए रखा गया है।
- 1.8 "कार्ड एकांट" या "एकांट" का मतलब प्राथमिक कार्डमेम्बर के अनुरोध पर के नाम पर इन नियमों और शर्तों के तहत बैंक द्वारा बनाए रखा गया एकांट होगा।
- 1.9 "कार्ड नंबर" का मतलब आपके कार्ड के ऊपर लिखे हुए अद्वितीय 16 अंक होंगे (इसमें अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर भी शामिल होगा, यदि कोई हो)।
- 1.10 "को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड" का मतलब बैंक द्वारा किसी अन्य संस्था के मिलकर जारी किया गया क्रेडिट कार्ड होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा वाणिज्यिक/व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ी संस्था भी शामिल होगी, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं होगी।
- 1.11 "क्रेडिट लिमिट" का मतलब बैंक के सभी कार्ड एकांट में किसी भी समय प्राप्त की जा सकें ऐसी अधिकतम क्रेडिट है।
- 1.12 "शुल्क" का मतलब इस अग्रीमेंट के तहत कार्ड एकांट से किए गए लेनदेन या लिए गए शुल्क, भले ही कार्डमेम्बर ने चार्ज स्लिप/फॉर्म के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर की हो या नहीं। इसमें सामान/सेवाओं की खरीद, नकद पेशगी, कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके एकांट से बनाए गए ड्राफ्ट, वार्षिक शुल्क, वित्त शुल्क, सीमा से अधिक शुल्क, देर से भुगतान पर शुल्क, लेनदेन शुल्क, सेवा शुल्क, बस्तु एवं सेवा कर और जिसे कार्डमेम्बर ने इस अग्रीमेंट के तहत भुगतान करने के लिए सहमति दी हो या बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो ऐसे अन्य शुल्क/प्रभार/राशि आदि शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।
- 1.13 "नकद निकासी सीमा" का मतलब है नकद या नकद के बराबर की राशि जिसकी कार्डमेम्बर को बैंक के सभी कार्ड एकांट में गैर-खरीदी लेनदेन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।
- 1.14 "CVC2" मतलब कार्डमेम्बर के क्रेडिट कार्ड के पीछे सिग्नेचर पैनल (चुंबकीय पट्टी के नीचे) पर संख्या के अंतिम तीन (3) अंक। CVC2 एक सुरक्षा सुविधा है, जिसका उपयोग इंटरनेट लेनदेन के लिए या फोन पर कार्डमेम्बर की पहचान के लिए किया जाता है।
- 1.15 "इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल" का मतलब, ब्रांच टेलर टर्मिनल, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM), सेल्स पॉइंट टर्मिनल, EDC (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन) या कोई अन्य उपकरण होगा जिसमें क्रेडिट कार्ड और/या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग किया जाता है, और जिन्हें इन नियमों और शर्तों के तहत बैंक द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- 1.16 "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट क्लियरिंग या ECS)" का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित डेबिट क्लियरिंग सर्विस होगी, जिसमें कार्ड एकांट में बकाया भुगतान की सुविधा के लिए कार्डमेम्बर द्वारा लिखित रूप में हिस्सा लेने की सहमति दी गई हो।
- 1.17 "वित्त शुल्क" का मतलब इन नियमों और शर्तों के तहत कार्ड एकांट पर कुल बकाया राशि पर लगाया गया ब्याज होगा।
- 1.18 "व्यापारी प्रतिष्ठान" का मतलब नेटवर्क पार्टनर के रूप में नियुक्त की गई हो ऐसी कोई भी कंपनी, निगम, प्रतिष्ठान, पेड़ी, संगठन, व्यक्ति या संस्था (मास्टरकार्ड/वीजा/रूपे) और/या जिसके साथ मिलकर कार्डमेम्बर कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके सामान, सेवाएं या नकद पेशगी प्राप्त कर सकता हो। प्रतिष्ठान में अन्य के साथ-साथ स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइंस, ATM और मेल ऑर्डर विनापनदाताओं (चाहे खुदरा विक्रेता, वितरक या उत्पादक) सहित नकद पेशगी के स्थल शामिल होंगे। "व्यापारी" का मतलब ऐसी कोई भी व्यक्ति से है जो व्यापारिक प्रतिष्ठान, उसके उत्तराधिकारियों और असाइन का मालिक है या उसका प्रबंधन या संचालन करता है।

- 1.19 "न्यूनतम देय राशि" का मतलब, बैंक द्वारा कार्ड एकांट पर समय-समय पर निर्धारित की जा सकें ऐसी कुल बकाया राशि का प्रतिशत होगा, जिसका भुगतान, कार्डमेम्बर को बिलिंग चक्र के प्रत्येक उदाहरण पर करना होगा और शेष राशि अगले बिलिंग चक्र में भुगतान के लिए आगे बढ़ाना होगा। इस उद्देश्य के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि कार्डमेम्बर को प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए न्यूनतम देय राशि के रूप में कम से कम राशि का भुगतान करना होगा और आगे जोड़ी गई शेष राशि पर वित्त शुल्क लगेगा, जिसका कार्डमेम्बर को भुगतान करना होगा। विलंब भुगतान शुल्क ("LPF") तब लगाया जाता है जब कार्डमेम्बर द्वारा नियत तारीख पर कोई भुगतान नहीं किया जाता या फिर न्यूनतम देय राशि ("MAD") से कम भुगतान किया जाता है।
- 1.20 "खरीदारी" का मतलब कार्ड का उपयोग करके कार्डमेम्बर द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी होगी।
- 1.21 "खरीद की तारीख" का मतलब वह तारीख होगी जिस दिन लेनदेन, कार्ड एकांट पर पोस्ट किया जाता है, न कि वह तारीख जिस पर ग्राहक द्वारा वास्तव में लेनदेन किया गया हो। सभी शुल्कों और पुरस्कारों की गणना पोस्टिंग की तारीख पर की जाएगी।
- 1.22 "भुगतान की नियत तारीख" का मतलब वह तारीख होगी जिस पर या उससे पहले कार्डमेम्बर को बैंक को भुगतान करना होगा।
- 1.23 "कुल बकाया" या "कुल देय राशि" का मतलब बैंक के कारण कार्ड एकांट पर कुल बकाया होगा, जिसमें बिलिंग चक्र में समय-समय पर बैंक द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क, फीस और कोई अन्य राशि शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यहां बताए गए उद्देश्य के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बिलिंग चक्र पर, कार्डमेम्बर द्वारा कुल बकाया का भुगतान किया जाना है, हालांकि, उक्त कार्डमेम्बर कुल बकाया से कम राशि का भुगतान करना चुन सकता है, लेकिन प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए देय न्यूनतम राशि से कम कभी नहीं।
- 1.24 "अस्थायी क्रेडिट लिमिट" में वृद्धि का मतलब कार्डमेम्बर द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुरोध की गई क्रेडिट लिमिट में वृद्धि होगी। ऐसी वृद्धि एक विशिष्ट समय के लिए की जाती है और उस समय के अंत में वापस कर दी जाती है।
- 1.25 "मान्य कार्ड" का मतलब बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड होगा, जो न तो एक्सपायर हुआ है, न क्षतियस्त हुआ है या बैंक या कार्डमेम्बर द्वारा रद्द नहीं किया गया।
- 1.26 "वन टाइम पासवर्ड ("OTP")" का मतलब बैंक द्वारा उत्पन्न और शार्ट मेसेज सर्विस (SMS) द्वारा भेजा गया वन-टाइम पासवर्ड है।
- 1.27 "ईएमवी पिन" ("EMV") का अर्थ बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर किए जाने वाले लेनदेन के लिए जारी की गई व्यक्तिगत पहचान संख्या है।

## 2. आरबीएल (RBL) बैंक क्रेडिट कार्ड

- 2.1 कार्डमेम्बर को इसमें निहित और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों या किसी वैधानिक संस्था के तहत या समय-समय पर बैंक की नीति में बदलाव के कारण बैंक द्वारा संशोधित किए गए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्ड केवल तभी मान्य होगा जब मान्य कार्ड के पीछे उचित रूप से हस्ताक्षर किया गया हो और कार्डमेम्बर द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को प्रस्तुत किया गया हो। कार्डमेम्बर को किसी अनजान व्यक्ति, समूह या इंटरनेट एड्रेस सहित किसी भी तीसरे पक्ष को CVC2 नंबर बताते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि CVC2 का दुरुपयोग धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
- 2.2 कार्ड, बैंक की संपत्ति है और मांगे जाने पर इसे तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए या बैंक को सौंप दिया जाना चाहिए।
- 2.3 कार्ड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और कार्डमेम्बर को इसे हर समय अपने पास रखकर दुरुपयोग से बचाना चाहिए।
- (i) भारत के बाहर विदेशी मुद्राओं में क्रेडिट कार्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत किया जाएगा। कार्ड का उपयोग, लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निर्धारित मैगजीन, घुडदौड़ की बाजी लगाने और कॉल-बैंक सेवाओं के लिए भुगतान करने जैसी प्रतिबंधित चीजें खरीदने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) कार्डमेम्बर को कार्ड का उपयोग, नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए नहीं करना चाहिए।

यदि कार्डमेम्बर द्वारा विनियम नियंत्रण विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाता, जिसमें कार्ड द्वारा ऑनलाइन एक्सचेंज ट्रेडिंग या सट्टेबाजी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो कार्डमेम्बर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कार्डमेम्बर को बैंक या RBI के कहने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य क्रेडिट/चार्ज कार्ड रखने से रोका जा सकता है।

- 2.4 कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड की प्राप्ति स्वीकार करने पर, और/या कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने पर और/या कार्ड द्वारा खरीदारी पर, यह माना जाएगा कि प्राथमिक कार्डमेम्बर और/या अतिरिक्त कार्डमेम्बर ने, बैंक के विवेक पर समय-समय बैंक द्वारा संशोधित RBL बैंक के कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के नियम और शर्तें स्वीकार कर लिए हैं।
- 2.5 इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से फोरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंधित है।

### 3. कार्ड जारी करना और दायित्व

- 3.1 बैंक, बैंक का क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में रुचि रखने वाले और बैंक द्वारा समय-समय पर क्रेडिट कार्ड जारी करने की नीति में दर्शाए अनुसार पात्र आवेदकों/बैंक के ग्राहकों/आम जनता को क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसके अलावा, बैंक अपने एकमात्र और विशेष स्वविवेक से किसी भी कार्डमेम्बर को दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट और/या नकद निकासी की सीमा पर निर्णय लेगी। क्रेडिट लिमिट और/या नकद निकासी सीमा के बारे में कार्डमेम्बर को विभिन्न अवसरों पर सूचित किया जाता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी के समय और कार्डमेम्बर के आवधिक स्टेटमेंट द्वारा सूचित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। आवधिक स्टेटमेंट तैयार करने के समय उपलब्ध क्रेडिट लिमिट और/या नकद निकासी सीमा, स्टेटमेंट के एक भाग के रूप में प्रदान की जाती है और बैंक, अपने स्वविवेक से समय-समय पर कार्डमेम्बर के एकांट की समीक्षा कर सकती है और आंतरिक मानदंडों के आधार पर उपरोक्त सीमा (सीमाओं) में बदलाव कर सकती है। जो कार्डमेम्बर अपनी क्रेडिट लिमिट और/या नकद निकासी सीमा को बढ़ाना/बदलना चाहते हैं, वे बैंक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों प्रस्तुत करके, बैंक को एक अनुरोध लिखकर ऐसा कर सकते हैं। बैंक, अपने स्वविवेक पर और प्रदान किए गए ऐसे नए दस्तावेजों के आधार पर, उक्त कार्डमेम्बर की क्रेडिट लिमिट और/या नकद निकासी सीमा में बदलाव कर सकती है।
- 3.2 क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति/स्वाइप और उसके उपयोग पर ये नियम और शर्तें, कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होंगी।
- 3.3 किसी भी सामग्री (मार्केटिंग सामग्री सहित) से ऐसा नहीं माना नहीं जाएगा की बैंक, ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अनुरोध/आवेदन सहित क्रेडिट कार्ड में रुचि रखने वाले आवेदकों/ग्राहकों/आम जनता को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव/वादा कर रही है।
- 3.4 ऐसी स्थिति में जब बैंक द्वारा एक ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है, तो प्राथमिक कार्डमेम्बर हर समय प्राथमिक और ऐड-ऑन कार्डमेम्बर द्वारा किए गए लेनदेन के कारण बैंक को देय कुल राशि के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा।
- 3.5 बैंक, क्रेडिट कार्ड में रुचि रखने वाली आम जनता में से आवेदकों/ग्राहकों से, बैंक द्वारा अपने विवेक पर या लागू कानून द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार आवश्यक हो ऐसे दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकती।

### 4. कार्ड की मान्यता, एक्सपाइरी और नवीनीकरण

- 4.1 जब तक कि बैंक द्वारा रद्द न किया जाए, कार्ड की आगे की तरफ दर्शाए गए वर्ष के कैलेंडर महीने के अंतिम दिन तक कार्ड मान्य है। यदि कार्डमेम्बर मान्यता की अवधि के बाद कार्ड का उपयोग करता है, तो उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।
- 4.2 एक्सपाइरी या पूर्व रद्दीकरण पर, कार्ड को बैंक के निर्णय पर नवीनीकृत या बहाल किया जा सकता है। एक्सपाइरी पर, कार्ड को चुंबकीय पट्टी से आधा काटकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा, कृपया क्रेडिट कार्ड पर लगी चिप (यदि कोई हो) को दो टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें।
- 4.3 जब तक कार्डमेम्बर अग्रिमेंट का या यहाँ उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन नहीं करता, बैंक स्वचालित रूप से कार्ड की मान्यता को नवीनीकृत कर देगी और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्ड की एक्सपाइरी से पहले कार्डमेम्बर को एक नया कार्ड भेज देगी। नवीनीकृत कार्ड प्राप्त न होने पर, कर्दमेम्बर बैंक के निर्धारित ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है या समय-समय पर कार्डमेम्बर को सूचित किए गए पते पर बैंक को लिख सकता है।
- 4.4 यदि कार्डमेम्बर कार्ड को नवीनीकृत नहीं करना चाहता, तो उसे वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्ड की एक्सपाइरी से कम से कम 30 दिन पहले बैंक को सूचित करना होगा। कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड रद्द करने की ऐसी सूचना न मिलने पर, कार्डमेम्बर से उसके कार्ड एकांट से शुल्क (आवेदन के समय लागू) लिया जाएगा और वह नॉन-रिफंडेबल होगा।
- 4.5 क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के अनुरोध के लिए पै न संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है। यदि आपका पै न संबंधित विवरण समाप्ति से पहले हमारे साथ अपडेट नहीं किया गया है, तो कार्ड को नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। यदि कार्ड की एक्सपाइरी के 90 दिनों के भीतर पै न प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे कार्ड स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

### 5. अतिरिक्त कार्ड

- 5.1 एक कार्ड एकांट में कई अतिरिक्त कार्ड हो सकते हैं, संख्या बैंक के निर्णय पर निर्धारित की जाएगी। अतिरिक्त कार्डमेम्बर की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और वह भारतीय निवासी होना चाहिए और माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चे या भाई-बहन (भाई या बहन) के रूप में प्राथमिक कार्डमेम्बर से संबंधित होना चाहिए।
- 5.2 कार्डमेम्बर से अनुरोध/अधिकार प्राप्त होने पर, बैंक अपने विवेक से अतिरिक्त कार्डमेम्बर को अतिरिक्त कार्ड जारी कर सकता है।
- 5.3 अतिरिक्त कार्ड पर किए गए सभी लेनदेन और शुल्कों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी, कार्डमेम्बर होगा, जिसे भुगतान के लिए उसके एकांट के स्टेटमेंट में शामिल किया जाएगा। कार्डमेम्बर और अतिरिक्त कार्डमेम्बर बैंक को सभी शुल्क चुकाने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, भले ही एकांट का मासिक स्टेटमेंट केवल उन्हें ही भेजा जाए। इन नियमों और शर्तों का पालन, अतिरिक्त कार्डमेम्बर को भी करना होगा।

- 5.4 कार्डमेम्बर बैंक से अनुरोध करके अतिरिक्त कार्ड की सुविधा रद्द करवा सकता है और अतिरिक्त कार्ड को आधा काटकर बैंक को वापस कर सकता है। अतिरिक्त कार्ड की प्राप्ति पर, बैंक उसे रद्द कर देगी। अतिरिक्त कार्ड पर किए गए ऐसे सभी लेनदेन जो बैंक द्वारा रद्द किए गए अतिरिक्त कार्ड की प्राप्ति से पहले बिल नहीं किए गए, मान्य होंगे और कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होंगे।
- 5.5 यदि प्राथमिक कार्ड एकाउंट किसी भी कारण से बंद हो जाता है, तो अतिरिक्त कार्ड पर मिलने वाली सुविधा और विशेषाधिकार स्वचालित रूप से वापस खींच लिए जाएंगे।

## 6. कार्ड का उपयोग

- 6.1 क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने पर, आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड के पीछे दिए गए सिग्नेचर पैनल पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 6.2 कार्ड का उपयोग केवल सामान और/या सेवाओं की वास्तविक व्यक्तिगत या आधिकारिक खरीद के लिए किया जा सकता है।
- 6.3 शुल्क का भुगतान करते समय, कार्डमेम्बर को चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप, या मेल ऑर्डर कूपन पर हस्ताक्षर करना होगा और/या एकत्र करना होगा। चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर न करने पर कार्डमेम्बर अभी भी शुल्क के लिए उत्तरदायी रहेगा। कार्डमेम्बर को चार्ज स्लिप की प्रति कम से कम छह महीने तक अपने पास रखनी होगी। आपके अनुरोध पर, बैंक, अपने विवेक पर, प्रचलित दर पर अतिरिक्त शुल्क वसूल करने पर चार्ज स्लिप की प्रतियां प्रदान कर सकती है।
- 6.4 बैंक, किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना या कोई कारण बताए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को शुल्क के अधिकार से इनकार कर सकती है और/या कार्डमेम्बर की कार्ड का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित या स्थगित कर सकता है और/या कार्ड को बंद या रद्द कर सकता है। यदि बैंक को विश्वास हो कि क्रेडिट के उचित प्रबंधन के लिए या व्यावसायिक जोखिम या यदि कार्ड या कार्ड एकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग होने की संभावना है, तो वह किसी ATM, व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा या खुद, क्रेडिट कार्ड को वापस ले सकती है/अपने पास रख सकती है/क्रेडिट कार्ड के बकाया का आंशिक या पूर्ण भुगतान तत्काल मांग सकती है।। कार्डमेम्बर बिना किसी विरोध या आपत्ति के उपरोक्त बात से सहमत हैं।
- 6.5 भुगतान के लिए कार्ड एकाउंट पर किसी भी लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्राप्त कोई भी चार्ज स्लिप या भुगतान के लिए की गई अन्य मांग, इस बात का अंतिम प्रमाण होगी कि ऐसी चार्ज स्लिप या अन्य मांग पर दर्ज राशि कार्डमेम्बर द्वारा कार्ड के उपयोग से खर्च की गई थी। जहां चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात् मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (जैसे इंटरनेट) उपलब्ध है और आप उस लेनदेन पर विवाद करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि का भुगतान करेगा और संबंधित व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ प्रत्यक्ष रूप से विवाद का समाधान करना होगा। बैंक इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगी।
- 6.6 बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कुछ उत्पादों और सेवाओं की खरीद पर अधिशुल्क लगाया जा सकता है। अधिशुल्क का भुगतान अनिवार्य है और यह समय-समय पर अलग-अलग हो सकता है। पेट्रोल पंप पर लेनदेन पर अधिशुल्क, लेनदेन राशि का 2.5% होगा, जो न्यूनतम 10/- रुपये होगा। रेलवे टिकट की खरीद/रद्दकरण पर अधिशुल्क, IRCTC सेवा शुल्क + लेनदेन राशि का 1.8% होगा।
- 6.7 यदि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्ड स्वीकार करने से इनकार करती है या कार्ड पर अधिशुल्क लगाती है तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगी। हालांकि, कार्डमेम्बर को व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड स्वीकार करने से इनकार करने या अधिशुल्क लगाने की शिकायत, बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पते पर या निर्दिष्ट ग्राहक सेवा केंद्र पर करनी चाहिए।
- 6.8 बैंक माल, कीमत, दर, गुणवत्ता, मात्रा, वारंटी, विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगी, जिसमें कार्डमेम्बर द्वारा दिए गए मेल ऑर्डर सहित कार्डमेम्बर द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान और/या तीसरे पक्ष के सप्लायर से खरीदी या ली गई सेवाओं, डिलीवरी या नॉन-डिलीवरी में गलती/देरी भी शामिल है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को कार्डमेम्बर द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान/तीसरे पक्ष के सप्लायर के साथ प्रत्यक्ष रूप से निपटाया जाना चाहिए और ऐसा न करने पर, कार्डमेम्बर को बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से राहत नहीं मिलेगी।
- 6.9 किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्डमेम्बर द्वारा किया गया कोई भी दावा बैंक के विरुद्ध प्रतिदावा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 6.10 बैंक अपने विवेक के आधार पर, कार्डमेम्बर के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी हुए बिना और बिना कोई कारण बताए, कार्ड को निलंबित/वापस ले सकती है। कार्ड और इस कार्डमेम्बर अग्रीमेंट की समाप्ति के परिणामस्वरूप इससे जुड़े विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी।

- 6.11 यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्डमेम्बर किसी भी/सभी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए, भले ही ऐसी खरीदारी बाद में नहीं की गई हो म लेकिन वित्त या शुल्क शुल्क से बचने के लिए, स्टेटमेंट में दिखाए अनुसार भुगतान करेगा, जिसमें हवाई/रेल टिकट की भी शामिल है। रद्दीकरण के कारण रिफंड का क्रेडिट, कार्ड एकाउंट में (रद्दीकरण का शुल्क घटाकर) तभी किया जाएगा जब ऐसे रद्दीकरण की सूचना बैंक को प्राप्त होगी। कार्डमेम्बर को कोई नकद रिफंड नहीं दिया जाएगा। यदि उचित समय के भीतर एकाउंट के स्टेटमेंट में कोई क्रेडिट नहीं दिखाया जाता है, तो कार्डमेम्बर को तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
- 6.12 कार्डमेम्बर, इस कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के कानूनों, नियमों, विनियमों और नियमों और शर्तों के उल्लंघन में कार्ड के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और इसके अलावा, बैंक द्वारा आपके एकाउंट और आपके द्वारा की गई भूल/कृत्न्य और/या लापरवाही के कारण या भुगताने पड़े ऐसे कोई भी अन्य वित्तीय शुल्क और खर्च, लागत और परिणाम आदि की क्षतिपूर्ति देने और किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, रूपांतरण की भरपाई करने का वचन देता है।
- 6.13 कार्डमेम्बर, बैंक द्वारा कार्डमेम्बर को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए गए ऐसे सभी वैधानिक बकाया/शुल्क/कर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- 6.14 कार्डमेम्बर सहमत है और एतद्वारा बैंक को कार्डमेम्बर द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए शुल्क को, बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से निर्धारित की गई भारतीय रुपये के बराबर दर पर परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करता है।

## 7. EMV नियम और शर्तें

- 7.1 EMV एक पिन है जो या तो SMS/ईमेल के माध्यम से या बैंक के सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत पते पर भेजा जाता है। कार्डमेम्बर को बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑफलाइन लेनदेन करने के लिए एक EMV की आवश्यकता होती है।
- 7.2 कार्डमेम्बर स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किसी भी EMV को प्राप्त करने में मोबाइल फोन सेवा प्रदाता या इंटरनेट सेवा प्रदाता को प्रभावित करने वाले कारकों और बैंक के नियंत्रण से बाहर के अन्य कारकों के कारण देरी हो सकती है या नहीं भी प्राप्त होता है। बैंक EMV की डिलीवरी की गारंटी नहीं देती। कार्डमेम्बर बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंट को वकील की फीस सहित निम्नलिखित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी नुकसान या क्षति से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत है:

ए) EMV प्राप्त न होने पर, प्राप्त होने में देरी पर या गलत जगह भेजे जाने पर;

बी) इसके परिणामस्वरूप कार्डमेम्बर की बैंक क्रेडिट कार्ड पर लेनदेन करने में विफलता या अक्षमता; और

सी) EMV के किसी भी दुरुपयोग, अनधिकृत उपयोग, हानि या चोरी के कारण कार्डमेम्बर को हुई कोई हानि या क्षति।

- 7.3 कार्डमेम्बर, बैंक द्वारा किसी भी समय और समय-समय पर बैंक के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर निर्धारित EMV की सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं, निर्देशों और विशिष्टताओं का पालन करेगा। आगे होने वाली घटनाओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्डमेम्बर कभी भी कार्डमेम्बर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को EMV का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
- 7.4 EMV को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी कार्डमेम्बर की है और वह EMV को किसी अन्य पक्ष को नहीं देगा और किसी अन्य पक्ष द्वारा ईएमवी और/या पासवर्ड देने या उन्हें इसे दूढ़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। EMV के साथ-साथ कार्डमेम्बर वह मोबाइल फोन या उपकरण जिस पर EMV प्राप्त होता है, की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन्हें अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है।
- 7.5 EMV का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन के लिए कार्डमेम्बर उत्तरदायी होगा।
- 7.6 कार्डमेम्बर EMV का उपयोग करके प्रमाणित किए गए लेनदेन के लिए चार्जबैक के लिए पात्र नहीं होगा।
- 7.7 कार्डमेम्बर निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में तुरंत 24-घंटे ग्राहक सेवा पर कॉल करके बैंक को सूचित करेगा:

- यदि बैंक के साथ पंजीकृत कोई भी नंबर या उपकरण खो जाता है या चोरी हो जाता है, या इच्छित कार्य करने में असफल रहता है,
- यदि कार्डमेम्बर के पास यह शक करने की कोई वजह या कारण है कि EMV की सुरक्षा या गोपनीयता से समझौता किया गया है, या यदि EMV का कोई अनधिकृत उपयोग किया गया है या
- EMV उत्पन्न करने और/या प्राप्त करने के लिए कार्डमेम्बर द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस (जैसा भी मामला हो) के खो जाने, बदल जाने और/या नंबर में परिवर्तन के मामले में। कार्डमेम्बर द्वारा उल्लेखित किसी भी अनुपालन में असफल होने से उत्पन्न सभी नुकसान और परिणामों के लिए कार्डमेम्बर पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। कार्डमेम्बर की लापरवाही के कारण EMV के खो जाने, चोरी होने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी कार्डमेम्बर को वहन करनी होगी। इसके परिणामस्वरूप कार्ड एकाउंट रद्द किया जा सकता है।

- 7.8 यदि बैंक को लगता है कि EMV का दुरुपयोग किया जा रहा है या उचित अधिकार के बिना इसका उपयोग किया जा रहा है, तो बैंक किसी भी लेनदेन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 7.9 बैंक को समय-समय पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए EMV के उपयोग को रद्द करने, या उसे बदलने या परिवर्तन करने का एकमात्र और विशिष्ट अधिकार होगा और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी नुकसान या क्षति के लिए यह उत्तरदायी नहीं होगी।
- 8. नकद पेशगी**
- 8.1 कार्डमेम्बर क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक की ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (ATM) से, समय-समय पर बैंक द्वारा अपने विवेक के आधार पर पेश किए जाने वाले चुनिंदा भागीदार बैंकों और अन्य स्थानों/अनुमत प्रतिष्ठानों से पैसे निकालने और साथ ही समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमत डिमांड ड्राफ्ट सुविधा सहित किसी भी अन्य नकद समकक्ष समान के लिए। ऐसे किसी भी नकद पेशगी और नकद समान लेनदेन के लिए, कार्डमेम्बर को सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत निर्धारित नियमों और RBI और अन्य सरकारी संस्था द्वारा आगे अधिसूचित विदेशी मुद्रा कानून भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कार्डमेम्बर किसी भी व्यक्ति को नकद पेशगी के लिए बैंक द्वारा उसे दिए गए ATM पिन/कोड का खुलासा नहीं करेगा। कार्डमेम्बर किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी खोज को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतेगा।
- 8.2 कार्डमेम्बर, बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित या सूचित की गई और उपलब्ध नकद निकासी सीमा और नकद अग्रिम लेनदेन पर लागू ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन क्रेडिट कार्ड पर नकद निकासी सीमा तक नकद पेशगी प्राप्त कर सकता है। शुल्क, और नियम व शर्तें कार्डमेम्बर को लिखित रूप में सूचित की जाएंगी।
- 8.3 इस तरह के शुल्क बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं और निकासी की तारीख से निपटान की तारीख तक लगाए जाएंगे।
- 8.4 डिफॉल्ट ब्याज दरें डिफॉल्ट होने पर तुरंत प्रभावी होंगी। कार्डमेम्बर के मासिक वित्त शुल्क को निर्धारित करने में ध्यान में लिए जाने वाले कारकों में कोई डिफॉल्ट हो तो उसकी प्रकृति सहित कार्डमेम्बर का विटेज, समग्र क्रेडिट प्रदर्शन और साथ ही कार्डमेम्बर द्वारा एकाउंट के उपयोग और प्रदर्शन के अन्य संकेत शामिल हो सकते हैं।
- 9. अन्य फीस/शुल्क**
- 9.1 कार्डमेम्बर को सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत होना चाहिए, जिसमें शुल्क (प्रतिस्थापन और डुप्लिकेट स्टेटमेंट के लिए), नकद पेशगी पर लेनदेन शुल्क, बाहरी शुल्क के लिए वसूली शुल्क, कानूनी लागत और बैंक द्वारा ली जाने वाली कोई भी अन्य फीस/शुल्क शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 10. वस्तु एवं सेवा कर**
- 10.1 कार्डमेम्बर को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर या भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी ऐसी दर का भुगतान करने के लिए सहमत होना चाहिए जो समय-समय पर लागू निर्धारित शुल्क, वित्त शुल्क पर लगाया जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर, कार्डमेम्बर के मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में दिखाई देगा।
- 11. अलर्ट**
- 11.1 कार्डमेम्बर को इस बात से सहमत होना चाहिए कि बैंक उसे उसके कार्ड एकाउंट की स्थिति के बारे में सूचित रखेगा और समय-समय पर उसे SMS और/या ईमेल या संचार के लिए किसी अन्य माध्यम से संदेश भेजकर कोई अन्य जानकारी प्रदान करेगा और उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। कार्डमेम्बर इस बात से भी सहमत है कि बैंक, अपने विवेक से, उस सूचना/चेतावनी सेवाओं के लिए फीस/शुल्क लेने का विकल्प चुन सकती है, जिसके प्रति कार्डमेम्बर को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- उपलब्धता**
- 11.1 SMS सुविधा वर्तमान में केवल उन निवासी भारतीय क्रेडिट कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके भारत में RBL बैंक शाखाओं में एकाउंट हैं।
- 11.2 SMS सुविधा कुछ सेलुलर सेवा प्रदाताओं ("CSP") के माध्यम से प्रदान की जाती है और इसलिए उन क्षेत्रों में उपलब्ध है जहां CSP सेवाएं प्रदान करता है और साथ ही, भारत में CSP की सेवाओं के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है।
- 11.3 क्रेडिट कार्डधारक को अलर्ट केवल तभी भेजा जाएगा जब क्रेडिट कार्डधारक CSP के सेलुलर क्षेत्र के अंदर हो या ऐसे CSP के रोमिंग नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र में हो।
- 11.4 यदि संभव हो तो RBL बैंक कवरेज बढ़ाने के लिए अधिक सेलुलर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर सकती है।
- 11.5 उपरोक्त शर्तें उन सभी कार्यक्रमों के लिए मान्य होंगी जिनके तहत RBL बैंक SMS सुविधा का उपयोग करके जानकारी भेजती है।

## 12. लॉयल्टी प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम

- 12.1 RML बैंक (आरबीएल बैंक) कार्ड रिवाइर्स प्रोग्राम या क्रेडिट कार्ड/को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ("प्रोग्राम") के साथ पेश किए जाने वाले ऐसे अन्य लॉयल्टी प्रोग्राम द्वारा RBL बैंक के पात्र कार्डमेम्बर्स, समय-समय पर अपने RBL बैंक क्रेडिट कार्ड पर खर्च करके अंक ("प्वाइंट्स") प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड पर प्राप्त किए गए प्वाइंट्स को RBL बैंक या उस संस्था द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिवाइर्स में बदला जा सकता है जिसके साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।
- 12.2 प्रोग्राम में हिस्सा लेना भागीदारी स्वीच्छक है। कार्डमेम्बर बैंक को सूचना भेजकर प्रोग्राम से बाहर निकल सकता है।
- 12.3 कार्डमेम्बर अपने RBL बैंक कार्ड का, सामान्य रूप से उपयोग करना जारी रख सकता है। प्रोग्राम में भागीदारी के लिए वार्षिक शुल्क RBL बैंक/उस वाणिज्यिक या व्यावसायिक इकाई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसके साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड समय-समय पर जारी किया जाता है। हिस्सा लेने की तारीख - इसका मतलब मौजूदा कार्डमेम्बर्स के लिए प्रोग्राम के लॉन्च की तारीख और नए कार्डमेम्बर्स के लिए RBL बैंक द्वारा कार्ड एकाउंट खोलने की तारीख होगी। हिस्सा लेने का वर्ष - का मतलब हिस्सा लेने की तारीख से शुरू होने वाली "कोई भी बारह महीने" होंगे।
- 12.4 ये प्वाइंट्स मासिक बिलिंग स्टेटमेंट में दिखाई देंगे।
- 12.5 प्रोग्राम के तहत क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्च पर प्वाइंट्स मिलेंगे, सिवाय ऐसे खर्च जिन्हें RBL बैंक द्वारा समय-समय पर शामिल नहीं किया जाता है। वह खर्च जो वर्तमान में प्वाइंट्स प्राप्त करने के पात्र नहीं है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
- ए) बेलेस ट्रांसफर
  - बी) नकद पेशगी
  - सी) वित्तीय शुल्क (जैसे देर से भुगतान पर शुल्क, अस्वीकृत चेक पर शुल्क, सेवा शुल्क, लेनदेन शुल्क)
  - डी) विवादित लेनदेन
  - ई) पेट्रोल पंप/सर्विस स्टेशन पर की गई कोई भी खरीदारी, जब तक कि कार्डमेम्बर को अन्यथा विशेष रूप से सूचित न किया गया हो।
  - एफ) प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए शुल्क का भुगतान- मनीटैप प्रोग्राम के लिए, नकद
- 12.6 कोई भी कार्डमेम्बर अपनी हिस्सा लेने की तारीख से पहले किए गए किसी भी शुल्क के लिए प्वाइंट्स प्राप्त नहीं कर सकता है।
- 12.7 कार्डमेम्बर द्वारा क्रेडिट कार्ड पर प्राप्त किए गए प्वाइंट्स, जब तक कि अन्यथा RBL द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए तब तक रिडेम्प्शन के समय उसके अन्य क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स के साथ संयोजित या उपयोग नहीं किए जा सकते या किसी अन्य ग्राहक के लॉयल्टी प्रोग्राम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- 12.8 जब तक कि बैंक अपने वियेकाधिकार पर, विशिष्ट खर्च और उस पर प्राप्त प्वाइंट्स पर चुने गए कुछ क्रेडिट कार्ड/उनके संबंधित कार्डमेम्बर्स को उक्त नकद मौद्रिक मूल्य की पेशकश नहीं करती, तब तक प्राप्त किए गए प्वाइंट्स का मूल्य नकद और/या कोई मुद्रा के रूप में नहीं होगा।
- 12.9 यदि कोई क्रेडिट है, जिसमें लौटाए गए सामान या सेवाओं या बिलिंग विवादों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट भी शामिल हैं, तो उसे प्वाइंट्स में समायोजित किया जाएगा। यदि किसी विवादित लेनदेन का समाधान कार्डमेम्बर के पक्ष में होता है या जहां लेनदेन उलट दिया जाता है, तो समान संख्या में प्वाइंट्स भी उलट दिए जाएंगे और यदि पहले से कार्डमेम्बर के एकाउंट में जमा न किए गए हो तो जमा कर दिए जाएंगे। इसी तरह, सामान वापस करने मामले में या विवादित लेनदेन का समाधान कार्डमेम्बर के विरुद्ध होने पर, कार्डमेम्बर के एकाउंट से, यदि पहले से प्वाइंट्स क्रेडिट कर दिए गए हो तो समान संख्या में प्वाइंट्स डेबिट/घटाए जाएंगे। रिडेम्प्शन पर, रिडीम किए गए प्वाइंट्स कार्ड एकाउंट में जमा हुए प्वाइंट्स से स्वचालित रूप से घटा दिए जाएंगे।
- 12.10 RBL बैंक, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, क्रेडिट कार्ड के संबंध में एकाउंट के स्टेटमेंट में प्राथमिक कार्डमेम्बर को उक्त मासिक स्टेटमेंट के लिए समापन तिथि से तुरंत पहले जमा किए गए प्वाइंट्स की संख्या के बारे में सूचित करेगी।
- 12.11 यदि कार्डमेम्बर द्वारा क्रेडिट कार्ड स्वेच्छा से बंद कर दिया जाता है या किसी अन्य कारण से रद्द कर दिया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड रद्द करने के बाद कोई भी बकाया रिवाइर्स प्वाइंट्स स्वचालित रूप से व्यतीत और जट्ट कर लिए जाएंगे। यदि किसी भी कारण से RBL बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक या निलंबित कर दिया जाता है, तो जमा किए गए प्वाइंट्स रद्द हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहाल होने पर, RBL बैंक के वियेक पर प्वाइंट्स भी बहाल किए जा सकते हैं।
- 12.12 प्वाइंट्स की गणना, उनके व्यतीत होने, रद्दीकरण, जव्ती, क्रेडिट, डेबिट और पुनः बहाली पर RBL बैंक का निर्णय अंतिम, निर्णायक और कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होगा।

- 12.13 रिडीम के लिए उपलब्ध प्वाइंट्स का अर्थ है वे पॉइंट्स जिन्हें कार्डमेम्बर द्वारा रिवाइड कैटलॉग से माल (वस्तुओं/सेवाओं) के लिए या व्यापारी प्रतिष्ठान के पास उपलब्ध रिवाइड सर्टिफिकेट के लिए या फिर संबंधित क्रेडिट कार्ड के लिए विशिष्ट तरीके से रिडीम किया जा सकता है, जिसमें इंस्टेंट रिडेम्पशन, कैश रिडेम्पशन और गिफ्ट वाउचर शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है।
- 12.14 कार्डमेम्बर समझता है कि बैंक, कार्डमेम्बर को सूचित करने के बाद, अपने किसी भी प्रोग्राम में कार्डमेम्बर की भागीदारी के लिए एक राशि डेबिट कर सकता है (जिसमें आगे "राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। ऐसी राशि के डेबिट होने के बाद, यदि कार्डमेम्बर कार्ड के उपयोग के संबंध में बैंक द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर बैंक को प्रोग्राम में हिस्सा न लेने के इरादे के बारे में लिखित रूप से सूचित करता है, तो ये राशि बैंक द्वारा कार्डमेम्बर के एकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
- 12.15 कार्डमेम्बर को हर एक स्टेटमेंट में उसे द्वारा प्राप्त प्वाइंट्स की संख्या सूचित की जानी चाहिए। इन रिवाइड प्वाइंट्स को रिडीम करने की दर और तरीका बैंक के निर्णय पर आधारित होगा, वह बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय दर में बदलाव कर सकती है।
- 12.16 यदि संबंधित तारीख पर, कार्ड सुविधा वापस ले ली जाती है या रद्द कर दी जाती है या कार्ड एकाउंट को अतिदेय एकाउंट के रूप में दिखाया जाता है, तो प्वाइंट्स इकट्ठा करने या रिडीम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 12.17 कार्डमेम्बर इन प्वाइंट्स को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है या इसे, अपने पास मौजूद बैंक के किसी अन्य कार्ड के साथ नहीं जोड़ सकता है। हालाँकि, बैंक, अपने विवेक पर, कुछ मामलों में विशिष्ट योजनाओं के लिए प्वाइंट्स के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है और समय-समय पर कार्डमेम्बर को इसकी सूचना दे सकती है।
- 12.18 बैंक की प्वाइंट्स की गणना अंतिम, निर्णायक और कार्डमेम्बर पर बाध्यकारी होगी और वह किसी भी कारण से विवाद या पृच्छाछ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12.19 कार्डमेम्बर द्वारा 24 महीनों तक रिडीम नहीं गए प्वाइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे और जव्त कर लिए जाएंगे।
- 12.20 प्वाइंट्स के रिडेम्पशन का अनुरोध प्राप्त होते समय, RBL बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड अतिदेय, निलंबित, ब्लॉक, रद्द या एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए।
- 12.21 केवल प्राथमिक कार्डमेम्बर ही प्राप्त प्वाइंट्स को रिडीम कर सकता है, अतिरिक्त कार्डमेम्बर नहीं।
- 12.22 प्रोग्राम कैटलॉग और RBL बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य मेलर्स में बताए अनुसार विभिन्न प्रकार के रिवाइड्स के लिए प्वाइंट्स को भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रिडीम किया जा सकता है, उदाहरण के लिए- माल, खरीदारी, भोजन, यात्रा, मनोरंजन, शुल्क पर छूट, वित्तीय सेवाएँ, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड के लिए।
- 12.23 रिडीम करने में सक्षम होने के लिए कार्ड सदस्य को [www.rblrewards.com](http://www.rblrewards.com) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। कार्डमेम्बर अपने संबंधित प्वाइंट्स के रिडेम्पशन की स्थिति और विकल्पों को देखने के लिए वेबसाइट पर भी जा सकता है।
- 12.24 RBL बैंक रिडेम्पशन प्रमाणपत्र/वाउचर या गिफ्ट की डिलीवरी में किसी भी देरी या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 12.25 रिडीम किए गए प्वाइंट्स अन्य रिवाइड्स के साथ बदले नहीं जा सकते या किसी भी परिस्थिति में नकद या क्रेडिट के लिए रिफंड, रिप्लेस या ट्रांसफर नहीं किए जा सकते और ऐसे रिडीम किए गए प्वाइंट्स को वापस प्वाइंट्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक बार किसी अन्य पार्टनर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए प्वाइंट्स एक्सचेंज कर लेने के बाद, उन्हें को वापस स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
- 12.26 सभी रिवाइड्स उपलब्धता के अधीन हैं और कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रिडेम्पशन की प्रक्रिया और प्रत्येक रिवाइड के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें कार्डमेम्बर को जारी किए गए रिडेम्पशन प्रमाणपत्र/वाउचर में उल्लेखित की जाएंगी।
- 12.27 किसी भी रिवाइड के रिडेम्पशन के संबंध में किए गए किसी भी अतिरिक्त भोजन, यात्रा, रहने की व्यवस्था, क्रूरियर या अन्य खर्च की पूरी जिम्मेदारी कार्डमेम्बर की होगी।
- 12.28 भोजन, यात्रा या होटल के लिए रिडेम्पशन प्रमाणपत्र जारी करने का मतलब आरक्षण नहीं होगा। कार्डमेम्बर सभी आरक्षण करने और भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, उसके द्वारा रिडीम किए जा रहे रिवाइड्स के बारे में सूचित करने के लिए जिम्मेदार है।
- 12.29 अन्य RBL बैंक से मिलने वाले लाभ, जो क्रेडिट कार्ड के उपयोग से सक्रिय होते हैं, वे प्रोग्राम के तहत रिवाइड्स के रूप में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं।
- 12.30 RBL बैंक किसी भी स्थिति में प्वाइंट्स से रिडीम किए गए उत्पाद और/या सेवाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगी, जिसमें प्वाइंट्स के गैर-उपयोग या उपयोग से, या भोजन, यात्रा या होटल में रहने के लिए रिडेम्पशन प्रमाणपत्र के उपयोग में, या प्वाइंट्स रिडीम करके प्राप्त किसी भी उत्पाद सेवा के उपयोग, स्थायित्व, बिक्री योग्यता में दोष या कमी से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 12.31 प्रोग्राम में प्वाइंट्स प्राप्त करने और रिडीम करने से संबंधित धोखाधड़ी और/या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप प्वाइंट्स को जव्त कर लिया जाएगा और साथ ही क्रेडिट कार्ड को बंद और रद्द कर दिया जाएगा।

- 12.32 रिवाँड्स के रिडेम्पशन पर कार्डमेम्बर द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग RBL बैंक या उसके व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, कार्डमेम्बर से लिखित या अन्यथा किसी भी अनुमति के बिना किया जा सकता है।
- 12.33 यदि कार्डमेम्बर को उपरोक्त या अन्य कारण से प्वाँड्ट्स के रिडेम्पशन पर सरकार, किसी अन्य प्राधिकारी, संस्था या किसी अन्य भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान कोई भी कर या अन्य देनदारियां या शुल्क देना पड़ा, तो वह कार्डमेम्बर के एकमात्र एकाउंट से होगा।
- 12.34 RBL बैंक कार्डमेम्बर को कोई सूचना दिए बिना, किसी भी समय रिवाँड्स, रिवाँड्स की शर्तों या प्वाँड्ट्स की गणना के आधार, या कार्यक्रम के नियमों और शर्तों को रद्द करने, बदलने या प्रतिस्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। RBL बैंक प्राप्त प्वाँड्ट्स के लिए किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी समय आवश्यक समझे जाने पर प्रोग्राम को निलंबित या बंद कर सकती है।
- 12.35 RBL बैंक, इस प्रोग्राम के तहत भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों/को-ब्रांडेड वाणिज्यिक या व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं के प्रकार, गुणवत्ता या फिटनेस के संबंध में स्पष्ट या लिखित, कोई वारंटी या अभ्यावेदन नहीं देती है। माल, जहां लागू हो, पर उत्पादक से वारंटी संबंधित जानकारी ली जा सकती है और कोई भी दावा केवल उत्पादक या सेवा प्रदाता या को-ब्रांडेड वाणिज्यिक या व्यावसायिक संस्था के साथ सुलझाया जाना चाहिए।
- 12.36 प्रोग्राम के तहत रिवाँड्स के रूप में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा कार्डमेम्बर और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले भाग लेने वाले व्यापारी प्रतिष्ठान के बीच किया जाएगा। RBL बैंक ऐसे विवादों को सुलझाने या विवाद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।
- 12.37 प्रत्येक प्रोग्राम विशिष्ट नियमों और शर्तों (जिसे आगे "प्रोग्राम के नियम और शर्तों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा नियंत्रित होगा। हालाँकि, ऐसे प्रोग्राम के नियमों और शर्तों कार्डमेम्बर अग्रीमेंट में किसी भी तरह से बदलाव नहीं करेंगी, और इसमें संदर्भित लेखित परिभाषित नहीं किए गए किसी भी शब्द की व्याख्या कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के अनुसार होगी।
- 12.38 RBL बैंक इस प्रोग्राम के संबंध में किसी भी मामले और कोई भी रिवाँड्स प्रदान करने के संबंध में कार्डमेम्बर द्वारा किसी भी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या पृष्ठताछ के जवाब में सद्भावना से कार्य करती है। कार्डमेम्बर, RBL बैंक द्वारा ऐसी सद्भावना से किए गए कार्य के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, दायित्व, व्यय आदि का दावा करने या आरोप लगाने का हकदार नहीं होगा और कार्डमेम्बर RBL बैंक को उसके संबंध में पूरी तरह से हानिरहित रखेगा।
- 12.39 उपरोक्त के बावजूद, बैंक केवल कुछ चुनिंदा कार्डमेम्बर्स को कुछ मूल्यवर्धित प्रोग्राम्स भी प्रदान करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन हैं और कुछ चुनिंदा ग्राहकों को बैंक द्वारा अपने विवेक पर प्रदान किए गए मूल्यवर्धित लाभ हैं।
- 13. 24 घंटे ग्राहक सेवा**
- 13.1 कार्डमेम्बर को बैंक द्वारा टेलीफोन पर निर्देश देकर उनके कार्ड एकाउंट पर जानकारी तक पहुंच और लेनदेन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक इसे मैन्युअल रूप से या स्वचालित प्रणाली द्वारा स्वीकार कर सकता है। हालाँकि, बैंक अपने विवेक से, टेलीफोन पर दी/ली जाने वाली जानकारी/लेन-देन की प्रकृति पर निर्णय ले सकती है। अनुरोध पर बैंक, कार्रवाई करने से पहले कार्डमेम्बर की पहचान प्रमाणित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।
- 13.2 कार्डमेम्बर को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि बैंक द्वारा ऐसे निर्देशों पर सद्भावनापूर्वक कार्य करने के कारण वह बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
- 13.3 बैंक अपने विवेक से ऐसे निर्देशों को टेप या रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में ऐसे टेलीफोनिक निर्देशों की ट्रांसक्रिप्ट पर, प्रमाण के रूप में भरोसा कर सकता है।
- 13.4 कार्डमेम्बर के अनुरोध पर बैंक, कार्ड एकाउंट के संबंध में ई-मेल द्वारा (बैंक के साथ पंजीकृत ई-मेल पर) वित्तीय जानकारी भेज सकता है, जो निजी या गोपनीय प्रकृति की हो सकती है और यदि ऐसी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को पता चलती है, तो वह बैंक को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
- 13.5 ऐसे निर्देशों का पालन करते समय, बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर कार्य करेगी और बैंक की ओर से उनके किसी भी निर्देश पर तुरंत या बिल्कुल भी कार्रवाई करने में देरी या असमर्थता के कारण उत्तरदायी नहीं होगी।
- 13.6 बैंक ऐसे निर्देशों को लागू करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है जहां बैंक के पास यह मानने का कारण हो कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या सुविधा को वापस लेने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 13.7 यदि बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के विवरण या माहिती में कोई अंतर है, तो कार्डमेम्बर को बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों में बैंक को इस अंतर के बारे में सूचित करना होगा। ऐसी स्थिति में जब किसी प्रश्न के समाधान के रूप में बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया से कार्डमेम्बर संतुष्ट नहीं होता, तो कार्डमेम्बर के पास मामले को बैंक के उपलब्ध एस्केलेशन तंत्र के भीतर या किसी बाहरी मंच, यानी बैंकिंग लोकपाल के पास ले जाने का विकल्प होता है। कार्डमेम्बर द्वारा अभद्र और असभ्य भाषा का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा और यदि कार्डमेम्बर ऐसा करता है, तो बैंक संबंध समाप्त करने सहित आवश्यकतानुसार कार्यवाई कर सकती है।

- 13.8 बैंक द्वारा उक्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कार्डमेम्बर, इस सुविधा का उपयोग करने के परिणाम या कारण से उत्पन्न होने वाली उन सभी कार्रवाई, दावे, मांग, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और खर्च के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और एतद्द्वारा बैंक को हानिरहित रखेगा।
14. **इंटरनेट बैंकिंग**
- 14.1 कार्डमेम्बर को इस बात के लिए सहमति देनी चाहिए कि कोई भी इंटरनेट लेनदेन करते समय, फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी लेनदेन केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किसी भी नियम, विनियम, अधिसूचना सहित कोई अन्य कानून जो समय-समय पर लागू हो ऐसे अन्य लागू अधिनियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा एकाउंट संबंधित जानकारी के अनधिकृत और अवैध उपयोग से बचाने के लिए बैंक, अपने विवेक पर, कार्डमेम्बर से कुछ इंटरनेट लेनदेन को अस्वीकार कर सकती है।
- 14.2 इस सुविधा के उपयोग के लिए कार्डमेम्बर को एक विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) भी दी जा सकती है। कार्डमेम्बर उक्त नंबर की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और उक्त नंबर को किसी भी व्यक्ति को न तो देगा न ही जाहिर करेगा।
- 14.3 कार्डमेम्बर को इस बात की सहमति देनी चाहिए कि वह भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और अवैध घोषित की गई गेमिंग और अश्लीलता से जुड़ी वेबसाइट पर जाने के लिए कार्ड/कार्ड नंबर का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 14.4 वेबसाइट पर दी गई सूचना सामग्री में परिवर्तन हो सकते हैं। बैंक की वेबसाइट का अनधिकृत उपयोग, जिसमें बैंक के सिस्टम में प्रवेश करना, पासवर्ड का दुरुपयोग या वेबसाइट पर पोस्ट की गई किसी भी जानकारी का दुरुपयोग शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर, कर्दमेम्बर के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उस समय लागू अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 14.5 बैंक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। कार्डमेम्बर इस सुविधा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप या उसके कारण होने वाले सभी कार्य, दावे, मांग, कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और बैंक को हानिरहित रखेगा।
- 14.6 बैंक, बिना कोई कारण बताए या बिना किसी सूचना के किसी भी उपयोगकर्ता की पहुंच को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. **वन टाइम पासवर्ड ("OTP") के नियम और शर्तें**
- 15.1 OTP एक वन-टाइम पासवर्ड है जो बैंक के सिस्टम में रिकॉर्ड पर मौजूद मोबाइल फोन नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने में सक्षम होने के लिए OTP आवश्यक है। OTP उन लेनदेन के लिए उत्पन्न होता है जहां क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है यानी इंटरनेट, IVR इत्यादि पर किए गए लेनदेन और इसके उत्पन्न होने के समय से यह केवल 15 मिनट तक ही मान्य रहता है।
- 15.2 कार्डमेम्बर स्वीकार करता है और सहमत होता है कि OTP प्राप्त होने में, मोबाइल फोन सेवा प्रदाता को प्रभावित करने वाले कारकों और बैंक के नियंत्रण से बाहर के अन्य कारकों के कारण देरी हो सकती है या नहीं भी आ सकता है। बैंक, OTP की डिलीवरी की गारंटी नहीं देती। कार्डमेम्बर बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंट के वकील की फीस सहित निम्नलिखित से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी नुकसान या क्षति से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत है:
- ए) OTP प्राप्त न होने पर, प्राप्त होने में देरी पर या गलत जगह भेजे जाने पर;
- बी) इसके परिणामस्वरूप कार्डमेम्बर की बैंक क्रेडिट कार्ड पर लेनदेन करने में विफलता या अक्षमता; और
- सी) OTP 14.3 के किसी भी दुरुपयोग, अनधिकृत उपयोग, हानि या चोरी के कारण हुई कोई हानि या क्षति। कार्डमेम्बर, बैंक द्वारा किसी भी समय और समय-समय पर बैंक के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर निर्धारित OTP की सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं, निदेशों और विशिष्टताओं का पालन करेगा। आगे होने वाली घटनाओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्डमेम्बर कभी भी कार्डमेम्बर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को OTP का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। OTP को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी कार्डमेम्बर की है। कार्डमेम्बर अपना OTP किसी अन्य पक्ष को नहीं देगा और किसी अन्य पक्ष को/द्वारा OTP और/या पासवर्ड देने/प्राप्त करने या उन्हें इसे ढूँढने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- 15.3 OTP के साथ-साथ कार्डमेम्बर वह मोबाइल फोन या उपकरण जिस पर OTP प्राप्त होता है, की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन्हें अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है।
- 15.4 OTP का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन के लिए कार्डमेम्बर उत्तरदायी होगा।
- 15.5 कार्डमेम्बर निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में तुरंत 24-घंटे ग्राहक सेवा पर कॉल करके बैंक को सूचित करेगा:
- ए) यदि बैंक के साथ पंजीकृत कोई भी नंबर या उपकरण खो जाता है या चोरी हो जाता है, या इच्छित कार्य करने में असफल रहता है,
- बी) यदि कार्डमेम्बर के पास यह शक करने की कोई वजह या कारण है कि OTP की सुरक्षा या गोपनीयता से समझौता किया गया है, या यदि OTP का कोई अनधिकृत उपयोग किया गया है या

सी) OTP उत्पन्न करने और/या पास करने के लिए कार्डमेम्बर द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस (जैसा भी मामला हो) के खो जाने, बदल जाने और/या नंबर में परिवर्तन के मामले में। कार्डमेम्बर द्वारा उल्लेखित किसी भी अनुपालन में असफल होने से उत्पन्न सभी नुकसान और परिणामों के लिए कार्डमेम्बर पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। कार्डमेम्बर की लापरवाही के कारण OTP के खो जाने, चोरी होने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी कार्डमेम्बर को वहन करनी होगी और इसके परिणामस्वरूप कार्ड एकाउंट रद्द किया जा सकता है।

15.6 यदि कार्डमेम्बर को लगता है कि OTP का दुरुपयोग किया जा रहा है या उचित अधिकार के बिना इसका उपयोग किया जा रहा है, तो कार्डमेम्बर किसी भी लेनदेन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15.7 बैंक को समय-समय पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए OTP के उपयोग को रद्द करने, या उसे बदलने या परिवर्तन करने का एकमात्र और विशिष्ट अधिकार होगा और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी नुकसान या क्षति के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगी।

## 16. ट्रांसफर और पे

वेबसाइट [www.rblbank.com](http://www.rblbank.com) पर ट्रांसफर और पे के नियम और शर्तें देखें

## 17. तृतीय पक्ष/सेवा प्रदाता की नियुक्ति

17.1 कार्डमेम्बर RBL बैंक और उसके सहयोगियों को अपने आवेदन से संबंधित सभी जानकारी, डेटा या दस्तावेजों को RBL बैंक के अन्य सहयोगियों/शाखाओं/सहायक कंपनियों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट व्यूरो/एजेंसियों/ नियामक अधिकारी / वैधानिक निकाय / कर प्राधिकारी / सूचना व्यूरो / BFL / ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों, जिन्हें RBL बैंक, उक्त जानकारी/डेटा के उपयोग या प्रसंस्करण के लिए या संसाधित जानकारी/लेन-देन संबंधित डेटा/उसके उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक या उचित समझे या जैसे आवश्यक हो वैसे आदान-प्रदान करने, साझा करने या प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है और इस जानकारी के उपयोग के लिए वह RBL बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। हालाँकि, बैंक, तीसरे पक्ष के कृत्यों या भूल से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। वसूली के लिए ऐसे तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता को किए गए सभी भुगतान, बकाया राशि/राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और खर्च, कार्डमेम्बर की लागत और जोखिम से काट लिए जाएंगे। यदि भुगतान लागू करने के लिए मामले को किसी एजेंट के पास भेजना या कानूनी सहायता लेना आवश्यक पड़े तो कार्डमेम्बर बकाया राशि की वसूली, कानूनी खर्च और ब्याज सहित विवेकाधीन राशि से जुड़ी सभी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा।

17.2 यदि कार्डमेम्बर किसी वित्तीय सहायता/सुविधा/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा या उस पर देय ब्याज/शुल्क की मूल राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो RBL बैंक और/या RBI के पास डिफॉल्ट के विवरण और कार्डमेम्बर/या उसके संचालक/साझेदारों/एजेंट-ऑन कार्ड धारकों के नाम, जैसा भी लागू हो, को डिफॉल्टर के रूप में, RBL बैंक या RBI जिस माध्यम से उचित समझे, उस माध्यम से जाहिर करने या प्रकाशित करने का संपूर्ण अधिकार होगा। RBL बैंक, क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में कार्डमेम्बर के क्रेडिट इतिहास/पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और/या पिछले देय दिनों की स्थिति से संबंधित जानकारी क्रेडिट सूचना व्यूरो को प्रकट करेगा। क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की स्वीकृति, कार्डमेम्बर की क्रेडिट पात्रता की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होने पर आधारित है। RBL बैंक अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को, कार्ड एकाउंट में किसी भी चूक या कार्ड के माध्यम से या अन्य तरीके से कार्डमेम्बर की क्रेडिट सुविधा को वापस लेने की सूचना दे सकती है। प्रतिकूल रिपोर्ट (कार्डमेम्बर या उसके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट पात्रता से संबंधित) की प्राप्ति के आधार पर, RBL बैंक, लिखित रूप में 15 दिनों की पूर्व सूचना के बाद, क्रेडिट कार्ड को रद्द कर सकता है, जिसके बाद कार्ड एकाउंट में संपूर्ण बकाया राशि और साथ ही कार्ड के उपयोग से होने वाला कोई भी अतिरिक्त शुल्क, जिसे अभी तक कार्ड एकाउंट में बिल नहीं किया गया है, का भुगतान कार्डमेम्बर को तुरंत ही करना होगा। आरबीएल बैंक, कार्डधारक को उस बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगा जहां से उसे यह रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, या जिससे जानकारी का प्रकटीकरण किया है।

## 18. क्रेडिट कार्ड पुनः जारी करना और बदल देना

18.1 यदि कार्ड खराब हो जाता है/क्षतियस्त हो जाता है, आकार बिगड़ जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कार्डमेम्बर बैंक की किसी भी शाखा में क्रेडिट कार्ड बदलने के लिए कह सकता है या ग्राहक सेवा 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1800 121 9050 पर अपना अनुरोध दर्ज करा सकता है। क्रेडिट कार्ड के बदले दूसरा क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय, उसे बदली करने के समय प्रचलित शुल्कों पर बैंक द्वारा लिया जाएगा। क्षतियस्त कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसे चुंबकीय पट्टी पर निरुद्ध आकार में काटकर तुरंत बैंक को वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा, कृपया क्रेडिट कार्ड पर लगी चिप (यदि कोई हो) को दो टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें।

## 19. पते और टेलीफोन नंबर का परिवर्तन

19.1 कार्डमेम्बर को अपने पते और/या किसी टेलीफोन नंबर में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत बैंक को, बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पते पर या नामित ग्राहक सेवा केंद्र पर लिखित या टेलीफोन पर सूचित करना होगा। पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध के साथ, पते का स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न होना चाहिए।

## 20. उत्तरदायित्व न होना

- 20.1 उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में बैंक कार्ड सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी:
- ए) आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में कोई खामी,
  - बी) किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का मान्यता देने या स्वीकार करने से इंकार करना,
  - सी) किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की खराबी,
  - डी) कार्डमेम्बर के अलावा किसी और द्वारा लेनदेन का निर्देश दिया जाना,
  - ई) कार्ड वापस करने का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान या किसी व्यक्ति द्वारा मिलकर किया गया कोई कार्य,
  - एफ) कार्डमेम्बर द्वारा बैंक परिसर में बैंक के नामित कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को कार्ड सौंपना,
  - जी) बैंक द्वारा कार्ड के एक्सपायर होने से पहले उसे सरेंडर करने की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना, फिर चाहे ऐसी मांग और सरेंडर बैंक द्वारा किसी व्यक्ति या फिर कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई हो और/या प्राप्त की गई हो,
  - एच) बैंक द्वारा किसी भी कार्ड या कार्ड एकाउंट को बंद करने के अपने अधिकार का प्रयोग, या
  - आई) क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा को नुकसान, जो कथित तौर पर कार्ड के दोबारा कब्जे और/या इसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी सेवा प्रतिष्ठान/मेल ऑर्डर प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को मान्य या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई हो,
  - जे) क द्वारा बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत विवरण, गलत बयान, गलती या चूक। यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्डमेम्बर से बकाया राशि के भुगतान की मांग या दावा किया जाता है, तो कार्डमेम्बर को सहमत होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी मांग या दावा मानहानि का कार्य नहीं माना जाएगा या किसी भी तरीके से कार्डमेम्बर के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य नहीं माना जाएगा।

## 21. क्रॉस डिफॉल्ट

- 21.1 कार्डमेम्बर स्वीकार करता है कि कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के तहत दायित्वों के निर्वहन को पूरा करने में कोई भी चूक, कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के तहत डिफॉल्ट मानी जाएगी और बैंक क्रेडिट कार्ड सुविधा को बंद करने के अधिकार सहित उक्त अग्रीमेंट के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 21.2 कार्डमेम्बर, बैंक द्वारा कार्डमेम्बर को दी गई किसी भी अन्य लोन वित्तीय सुविधा के संबंध में चूक की स्थिति में क्रेडिट कार्ड सुविधा को बंद करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करता है और इसके विपरीत भी यही किया जाएगा।

## 22. नेटवर्क पार्टनर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (मास्टरकार्ड/वीजा/रुपे)

- 22.1 नेटवर्क पार्टनर (मास्टरकार्ड/वीजा/रुपे) द्वारा कार्डमेम्बर को कुछ आपातकालीन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ऐसी सेवाएँ नेटवर्क पार्टनर द्वारा तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। नेटवर्क पार्टनर द्वारा/माध्यम से प्रदान की गई ऐसी आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाने में होने वाली लागत की जिम्मेदारी, कार्डमेम्बर की होगी।
- 22.2 नेटवर्क पार्टनर (मास्टरकार्ड/वीजा/रुपे) के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।
- 22.3 बैंक भारत या दुनिया में कहीं भी नेटवर्क पार्टनर (मास्टरकार्ड/वीजा/रुपे) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की व्यवस्था या उपयोग के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती।

## 23. इश्योरेंस का लाभ

- इश्योरेंस कवर/सुविधाएँ प्रदान करने वाली संबंधित इश्योरेंस कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अलावा, इन नियमों और शर्तों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नियम और शर्तें ऐसे इश्योरेंस कवर को नियंत्रित करेंगी:
- 23.1 इश्योरेंस कवर कार्ड-दर-कार्ड अलग-अलग हो सकते हैं। कार्डमेम्बर समझता है कि उसे आरबीएल बैंक के विशिष्ट कार्ड/को-ब्रांडेड कार्ड के तहत कार्डमेम्बर को प्रदान किए गए विशिष्ट कम्प्लीमेंटरी इश्योरेंस कवर देखना और समझना आवश्यक है।
- 23.2 कार्डमेम्बर विशेष रूप से समझता है कि किसी भी कार्ड पर प्रदान किया गया कोई भी कम्प्लीमेंटरी इश्योरेंस कवर/सुविधाएँ, यदि कोई हो, किसी एक या अधिक विशिष्ट श्रेणी/प्रकार के कार्ड के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।
- 23.3 बैंक द्वारा इश्योरेंस कवर प्रदान नहीं किया जाता है। अपवाद/सीमाएँ और दावा प्रक्रिया, संबंधित इश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी पॉलिसियों के अनुसार लागू होती हैं। कार्डमेम्बर विशेष रूप से स्वीकार करता है कि RBL बैंक, प्रदान किए गए किसी भी इश्योरेंस कवर के आधार पर किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगी, चाहे ऐसे इश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम का भुगतान कार्डमेम्बर द्वारा किया गया हो या नहीं।

कार्डमेम्बर स्वीकार करता है कि संबंधित इंश्योरेंस कंपनी ऐसे सभी इंश्योरेंस संबंधी दावों/मामलों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी और कार्डमेम्बर ऐसे बीमा कवर के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी मामले के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, चाहे फिर वह मामले ऐसे बीमा कवर में किसी भी कमी या दोष, मुआवजे की वसूली या भुगतान, दावों का प्रसंस्करण या निपटान या अन्य के संबंध में हो, और ऐसे सभी मामलों को सीधे संबंधित इंश्योरेंस कंपनी के पास ले जाया और सुलझाया जाएगा और RBL बैंक को इससे बाहर रखा जाएगा और इस संबंध में RBL बैंक द्वारा किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित कुछ इंश्योरेंस कवर के लिए ऐसे विशिष्ट अपवाद हो सकते हैं, जिसमें RBL बैंक दावा दस्तावेज के बारे में सूचित करने और एकत्र करने में सहायता कर सकती है (लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है) और इसके बारे में ऐसे इंश्योरेंस कवर बेचने के समय सूचित किया जाएगा।

- 23.4 कार्डमेम्बर स्वीकार करता है कि इस प्रकार प्रदान किया गया इंश्योरेंस कवर कार्डमेम्बर को लागू संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, केवल तब तक ही उपलब्ध होगा जब तक कार्डमेम्बर, RBL बैंक का कार्डमेम्बर है और उसका कार्ड मान्य कार्ड है और किसी भी कारण से कार्ड मेम्बरशिप वापस लेने पर (चाहे अस्थायी या स्थायी रूप से), ऐसे इंश्योरेंस कवर का लाभ स्वचालित रूप से और वास्तव में कार्ड मेम्बरशिप की समाप्ति की तारीख से उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा, कार्डमेम्बर इस बात से भी सहमत है कि उसकी कार्ड मेम्बरशिप जारी रहने के दौरान भी, RBL बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के (अपने विवेक से और/या बिना कोई कारण बताए) ऐसे इंश्योरेंस कवर के लाभ को निलंबित, वापस या रद्द कर सकती है और इस लाभ को जारी रखने के लिए RBL बैंक पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होगा।
- 23.5 संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी में दर्शाए गए लाभ वह अधिकतम राशि होगी जिसके लिए कार्डमेम्बर, ऐसी संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसियों की अवधि के दौरान किसी भी नुकसान की स्थिति में हकदार होगा, जिसके तहत संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऐसे कवर प्रदान किए जाते हैं।

## 24. हस्तांतरण/प्रतिभूतिकरण

कार्डमेम्बर स्पष्ट रूप से मानता है और स्वीकार करता है कि बैंक, किसी भी तरीके से (नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट के आहरण के माध्यम से या अन्यथा) पूरी तरह से या आंशिक रूप से और बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों पर, कार्डमेम्बर को लिखित सूचना दिए बिना या उसके संदर्भ के बिना बैंक की पसंद के किसी तीसरे पक्ष को कार्डमेम्बर के बकाया भुगतान (किसी भी खरीदार, असैनी या हस्तांतरित की ओर से कार्डमेम्बर के खिलाफ कार्रवाई करने का बैंक का अधिकार सुरक्षित रखने सहित) बेचने, सौंपने या हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी कोई भी बिक्री या हस्तांतरण ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से लेनदार के रूप में या बैंक के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में माना जाएगा, लेकिन बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे तीसरे पक्ष की ओर से यहां सभी अधिकारों का प्रयोग जारी रखे और ऐसे तीसरे पक्ष को, अपने निर्णय पर ऐसे बकाया और देय राशि का भुगतान करे या उसे विनियोजित करे। अपने अधिकारों को लागू करने और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा की गई कोई भी लागत कार्डमेम्बर के एकाउंट से डेबिट की जाएगी।

## 25. अन्य

- 25.1 जहां बैंक, कार्ड के संबंध में किसी मामले के संबंध में कार्डमेम्बर द्वारा किसी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या पृष्ठताछ के जवाब में अच्छी सलाहना से कार्य करती है, तब कार्डमेम्बर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक से किसी भी नुकसान, क्षति, दायित्व, व्यय आदि का दावा करने या आरोप लगाने का हकदार नहीं होगा और कार्डमेम्बर, बैंक को उसके संबंध में हानिरहित रखने के लिए सहमत है। 24.2 इस कार्डमेम्बर अग्रीमेंट के तहत कार्डमेम्बर की देनदारियों को तब तक मुक्त नहीं करा जाएगा जब तक कि कार्ड एकाउंट पर बकाया पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती।
- 25.2 किसी भी शुल्क की राशि, लेकिन कार्ड एकाउंट पर अभी तक लागू नहीं की गई राशि के साथ कार्ड एकाउंट पर कुल बकाया, कार्डमेम्बर के दिवालियापन, विघटन या कार्डमेम्बर की किसी कॉर्पोरेट संस्थान के बंद होने पर या कार्डमेम्बर या प्राथमिक कार्डमेम्बर की मृत्यु पर बैंक को तुरंत देय होगा। प्राथमिक कार्डमेम्बर की संपत्ति से कार्ड एकाउंट पर किसी भी बकाया की भरपाई की जाएगी और इस तरह के बकाया की वसूली में किए गए कानूनी शुल्क और खर्चों सहित सभी लागतों के लिए, कार्डमेम्बर को बैंक को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। इस तरह के पुनर्भुगतान न होने तक, बैंक अपनी प्रचलित दर पर शुल्क की अनुसूची में दिए गए अनुसार वित्त शुल्क और अन्य लागू शुल्क लगाना जारी रखने का हकदार होगी।
- 25.3 किसी भी सरकारी/नियामक संस्था के निर्देश पर कार्ड एकाउंट निलंबित भी किया जा सकता है। कार्ड पर बकाया सभी राशियाँ, जैसा भी मामला हो, सरकार/नियामक संस्थाओं के निर्देशों पर तुरंत देय मानी जाएगी, और बैंक, कार्डमेम्बर पर, समस्त बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू संबंधित कानूनों के अनुसार इसे वसूल करने का हकदार होगा।
- 25.4 बैंक, समय-समय पर इनमें से सभी या किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने और/या संशोधित करने का हकदार होगी, जिसे कार्डमेम्बर को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। कार्डमेम्बर को ऐसे परिवर्तन तब तक बाध्य होंगे जब तक कि कार्ड एकाउंट में सभी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है और कार्ड को किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तारीख से पहले रद्द करने या आधा काटने के लिए बैंक में वापस नहीं दीया जाता।

- 25.5 बैंक अपने विवेक से इन नियमों और शर्तों के तहत कार्डमेम्बर के लिए उपलब्ध किसी भी नई सुविधा को जोड़ देगा या किसी मौजूदा सुविधा को वापस ले लेगा।
- 25.6 छपाई के समय सभी प्रकाशित जानकारी सही और पूर्ण है। छपाई के बाद होने वाले परिवर्तनों की जिम्मेदारी बैंक नहीं ले सकती।
- 25.7 कार्डमेम्बर को MITC (सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों) के लिए हमारी वेबसाइट [www.rblbank.com](http://www.rblbank.com) पर जाना आवश्यक है।
- 26. स्प्लिट एन्ड पे**
- 26.1 वेबसाइट [www.rblbank.com](http://www.rblbank.com) पर स्प्लिट एन्ड पे के नियम और शर्तें देखें  
ईंजी पे को स्प्लिट एन्ड पे नाम दिया गया है
- 27. ऑफ़र**
- 27.1 RBL बैंक, समय-समय पर, कार्ड के अधिग्रहण के समय या कार्ड बोर्ड होने के बाद अपने कार्डमेम्बर को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रस्तावों के बारे में सूचित कर सकता है। इन्हें ग्राहक को उन वाउचर के माध्यम से सूचित किया जा सकता है जो को-ब्रांडेड हो सकते हैं या केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान के हो सकते हैं।
- 27.2 ये ऑफ़र केवल भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा कार्डमेम्बर को दिए जाते हैं। भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नियम PDF लागू होंगे। RBL बैंक, इस ऑफ़र/वाउचर के तहत कार्डमेम्बर द्वारा प्राप्त उत्पाद/सेवाओं की डिलीवरी, गुणवत्ता, व्यापारिकता या उपयुक्तता का ऑफ़र नहीं देती, वारंटी नहीं देती और प्रतिनिधित्व नहीं करती।
- 27.3 कार्डमेम्बर यह भी समझता है कि कार्डमेम्बर द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ आदान-प्रदान की गई कोई भी जानकारी केवल उसके विवेक पर होगी और वह व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी जानकारी के दुरुपयोग के लिए RBL बैंक को उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस ऑफ़र के तहत प्राप्त उत्पादों/सेवाओं की डिलीवरी, गुणवत्ता, व्यापारिकता या उपयुक्तता के संबंध में कोई भी विवाद की स्थिति में कार्डमेम्बर को वाउचर, सीधे भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लिखित रूप में भेजना होगा और RBL बैंक इस संबंध में किसी भी संचार पर विचार नहीं करेगी।
- 27.4 इस ऑफ़र/वाउचर के तहत प्राप्त उत्पादों/सेवाओं के उपयोग या गैर-उपयोग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्डमेम्बर को होने वाली किसी भी हानि या क्षति या किसी भी व्यक्तिगत नुकसान के लिए RBL बैंक उत्तरदायी नहीं होगी।
- 27.5 RBL बैंक, बिना किसी पूर्व सूचना के इन प्रस्तावों को विस्तारित या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। RBL बैंक किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, उन सभी नियमों और शर्तों को जोड़ने/परिवर्तित/संशोधित/परिवर्तित करने या इस ऑफ़र को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य ऑफ़र से बदलने का, चाहे वह इस ऑफ़र के समान हो या नहीं या ऑफ़र को पूरी तरह से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 27.6 RBL बैंक का कार्डमेम्बर, ऑफ़र का लाभ उठाने के बदले किसी भी रूप में मुआवजे/लाभ का हकदार नहीं होगा। ऑफ़र को नकद के रूप में रिडीम नहीं जा सकता।
- 27.7 RBL बैंक किसी भी तरह से, व्यापारी प्रतिष्ठान की ओर से ऑफ़र, लाभ या विशेषाधिकार प्रदान करने या मान्य करने से इनकार या विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति या दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 27.8 इस ऑफ़र के तहत प्राप्त उत्पादों/सेवाओं की डिलीवरी, गुणवत्ता, व्यापारिकता या उपयुक्तता के संबंध में कोई भी विवाद की स्थिति में कार्डमेम्बर को वाउचर, सीधे भाग लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लिखित रूप में भेजना होगा और RBL बैंक इस संबंध में किसी भी संचार पर विचार नहीं करेगी।
- 27.9 इस ऑफ़र/वाउचर के तहत प्राप्त उत्पादों/सेवाओं के उपयोग या गैर-उपयोग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्डमेम्बर को होने वाली किसी भी हानि या क्षति या किसी भी व्यक्तिगत नुकसान के लिए RBL बैंक उत्तरदायी नहीं होगी।
- 27.10 ऑफ़र या नियम और शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद केवल मुंबई में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। यदि कोई विवाद है तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आज तक संशोधित) के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाएगा।
- 27.11 ऑफ़र में भागीदारी वैकल्पिक है और यह कार्डमेम्बर के विवेक पर निर्भर है।
- 27.12 ऑफ़र से संबंधित सभी मामलों में, RBL बैंक का निर्णय अंतिम और सभी मामलों में बाध्यकारी होगा।
- 27.13 ऐसी स्थिति में जब ऑफ़र, ये नियम और शर्तें, या इसका कोई भी हिस्सा लागू कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित है, तो ऑफ़र और/या नियम और शर्तें (जैसा भी मामला हो) को कानून के अनुपालन के लिए आवश्यक सीमा तक संशोधित किया जा सकता है।
- 27.14 ऑफ़र के नियम और शर्तें, कार्डमेम्बर के कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके प्रतिस्थापन/अस्वीकार में। 26.14 ऑफ़र पर लागू कोई भी नियम और शर्तें, जो किसी भी कानून या विनियम के तहत अमान्य, निषिद्ध या अप्रवर्तनीय हैं, वह बाकि के नियमों और शर्तों को अमान्य किए बिना ऐसी अमान्यता, शून्यता, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होंगी।

## 28. सेट ऑफ का अधिकार/ बैंकर का ग्रहणाधिकार

28.1 किसी भी कारण से, इस अग्रिमेंट में दिए गए क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान करने में कार्डमेम्बर द्वारा देरी करने या भुगतान न करने स्थिति में, कार्डमेम्बर स्पष्ट रूप से और बिना शर्त के, बैंक को, समय-समय पर बैंक की ओर से किसी भी संपत्ति से ऐसे किसी भी बकाया को समायोजित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें कार्डमेम्बर के पास व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से हो ऐसे बचत खाता(खाते), चानू खाता(खाते) और सावधि जमा खाता(खाते) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कानून के तहत बैंक के पास उनकी सभी संपत्तियाँ पर ग्रहणाधिकार होगा।

## 29. छूट/स्वीकृति

29.1 इस अग्रिमेंट, या किसी अन्य अग्रिमेंट या दस्तावेज के तहत किसी भी डिफॉल्ट पर बैंक को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय के उपयोग या चूक में कोई देरी, ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, न ही ऐसे डिफॉल्ट को कोई छूट/स्थगन या कोई सहमति के रूप में माना जाएगा, न ही किसी डिफॉल्ट के संबंध में बैंक की कार्रवाई या निष्क्रियता या किसी भी डिफॉल्ट में उसके द्वारा दी गई कोई सहमति, इस संबंध में बैंक के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

## 30. मध्यस्थता कार्यवाही

30.1 इस अग्रिमेंट से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित किसी भी विवाद, तकरार या दावे, या इसके उल्लंघन, समाप्ति या मान्यता को विवाद को, मध्यस्थता के प्रावधानों के तहत बैंक के नामित अधिकारी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजकर, समय-समय पर संशोधित सुलह अधिनियम, 1996 के तहत हल किया जाएगा। मध्यस्थता का निर्वाचन-क्षेत्र दिल्ली, भारत होगा। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

## 31. क्षेत्राधिकार और शासकीय कानून

31.1 इस कार्डमेम्बर अग्रिमेंट से उत्पन्न होने वाले और/या इससे संबंधित सभी विवाद दिल्ली, भारत में सक्षम अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के तहत सुलझाए जाएंगे। हालाँकि, यह सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही दायर करने/कार्यवाही करने के RBL बैंक के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा।

31.2 यह अग्रिमेंट भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

## 32. अनिवासी द्वारा क्रेडिट कार्ड का भुगतान

32.1 यदि कार्डमेम्बर अनिवासी भारतीय (NRI) है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके क्रेडिट कार्ड एकाउंट के सभी भुगतान आवश्यक रूप से उसके अनिवासी बैंकिंग एकाउंट से हों।

32.2 रोजगार या प्रवासन के लिए विदेश जाने वाले निवासी कार्डमेम्बर को अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में बैंक को सूचित करना होगा और अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए आवेदन करना होगा। यदि रहने की जगह में परिवर्तन के बाद कार्डमेम्बर को क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के लिए किसी भी भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो उसे अपने कार्ड पर देय सभी भुगतान आवक प्रेषण/अपने अनिवासी बैंक एकाउंट (NRI/NRO/FCNR एकाउंट) से करने होंगे। कार्डमेम्बर सहमत है और एतद द्वारा बैंक को समय-समय पर RBI द्वारा अधिसूचित तत्कालीन प्रचलित विनिमय दर पर ऐसे प्रेषण को भारतीय रुपये के बराबर में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करता है। कार्डमेम्बर अपनी रहने की जगह में बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करे, इसकी जिम्मेदारी कार्डमेम्बर की होगी।

32.3 अनिवासी कार्डमेम्बर सहमत है और पुष्टि करता है कि कार्डमेम्बर अपने बचत खाते या किसी अन्य नॉन-NRI बैंकिंग खाते से नकद, चेक और फंड-ट्रान्सफर के माध्यम से कोई वैकल्पिक भुगतान नहीं करेगा। यदि ग्राहक ऊपर बताई गई आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो बैंक के पास कार्ड को तुरंत ब्लॉक या बंद करने का एकमात्र अधिकार है, वह भी बिना किसी सूचना के।

32.4 कृपया ध्यान दें, मौजूदा RBI विनियमन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय शुल्क के भुगतान के लिए NRO एकाउंट से डेबिट, NRO एकाउंट की शेष राशि के प्रत्यावर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन है: एक अनिवासी भारतीय (NRI) या भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO), अपने अनिवासी (साधारण) रूप (NRO) एकाउंट में रखी शेष राशि में से प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि, सभी वास्तविक उद्देश्यों के लिए, भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन, यदि कोई हो, भेज सकता है।

32.5 एक विदेशी नागरिक या RBL बैंक क्रेडिट कार्ड रखने वाले प्रवासी यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत में रहने के लिए मान्य वीजा (न्यूनतम छह (6) महीने की वैधता के साथ) बैंक को प्रस्तुत किया गया है। मान्य वीजा न होने पर, बैंक को क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक/रद्द करने या बंद करने का अधिकार है।

## 33. सिक्वॉर्ड क्रेडिट कार्ड की शर्तें

33.1 "सिक्वॉर्ड क्रेडिट कार्ड" का मतलब RBL बैंक द्वारा कार्डधारक को RBL बैंक में रखी गई फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध RBL बैंक द्वारा जारी किया गया RBL बैंक क्रेडिट कार्ड होगा।

33.2 सिक्वॉर्ड क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए, कार्डधारक को RBL बैंक के साथ या बैंक की आंतरिक नीतियों की सलाह के अनुसार न्यूनतम 1,00,000/- रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट बनाए रखना / रखना आवश्यक होगा।

- 33.3 सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा, फिक्स्ड डिपाजिट की राशि के नब्बे प्रतिशत (90%) तक होगी। उक्त क्रेडिट सीमा समय-समय पर RBL बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हो सकती है और RBL बैंक द्वारा उचित समझें जाने वाले तरीके और माध्यम से कार्डधारक को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
- 33.4 कार्डधारक को समय-समय पर RBL बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के निष्पादन के बाद निर्दिष्ट तरीके से फिक्स्ड डिपाजिट जमा करने की आवश्यकता होगी। कार्डधारक को केवल RBL बैंक शाखा या समय-समय पर RBL बैंक द्वारा अपने विवेक पर तय और सूचित किए जाए ऐसे अन्य वैकल्पिक माध्यम पर फिक्स्ड डिपाजिट जमा करनी होगी।
- 33.5 इस प्रकार खोली गई फिक्स्ड डिपाजिट केवल ऑटो रिन्वुअल मोड पर खोली जाएगी। कार्डधारक/RBL बैंक द्वारा कार्ड रद्द करने की स्थिति में, सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपाजिट, फिक्स्ड डिपाजिट बनाते समय कार्डधारक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।
- 33.6 सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर, RBL बैंक सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बंद होने या फिक्स्ड डिपाजिट की परिपक्वता तक, कार्डधारक द्वारा अर्जित व्याज सहित, कार्डधारक द्वारा रखी गई फिक्स्ड डिपाजिट की पूरी राशि पर, जैसा भी मामला हो, एक ग्रहणाधिकार चिह्नित करेगा।
- 33.7 यदि आवेदक की RBL बैंक में मौजूदा फिक्स्ड डिपाजिट है, तो फिक्स्ड डिपाजिट, कार्डधारक के सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड एकाउंट से जोड़ी जाएगी और फिक्स्ड डिपाजिट को तत्काल प्रभाव से ऑटो-रिन्वुअल मोड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। फिक्स्ड डिपाजिट के ऑटो-रिन्वुअल के समय लागू व्याज की प्रचलित दर उक्त फिक्स्ड डिपाजिट की राशि पर लागू होगी।
- 33.8 कार्डधारक सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपाजिट से किसी भी हिस्से की निकासी नहीं कर पाएगा।
- 33.9 HUF, भागीदार पेडी, नाबालिगों द्वारा खोले गए/रखे गई या आवेदक/आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से खोले गई फिक्स्ड डिपाजिट, सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल वे एक ही व्यक्ति के नाम पर हो ऐसी फिक्स्ड डिपाजिट सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होगी।
- 33.10 फिक्स्ड डिपाजिट की सुविधा के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
- 33.11 फिक्स्ड डिपाजिट या सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड बंद होने पर/निकासी/रद्दीकरण की स्थिति में या यदि कार्डधारक नियत तारीख से 60 दिनों में सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, या यदि सिक्क्योर्ड क्रेडिट पर बकाया राशि शर्तों के अनुसार RBL बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी फीस, शुल्क या किसी भी अन्य राशि सहित किसी भी समय फिक्स्ड डिपाजिट का 95% से अधिक है, तो RBL बैंक को अर्जित व्याज फिक्स्ड डिपाजिट की संपूर्ण राशि को करने का अधिकार होगा और ऐसी राशि को सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड के तहत RBL बैंक को देय बकाया राशि से समायोजित कर दिया जाएगा। उपर्युक्त कर्तौती के बाद शेष कोई भी शेष राशि कार्डधारक को वापस कर दी जाएगी।
- 33.12 फिक्स्ड डिपाजिट पर ग्रहणाधिकार अंकित होने के बाद सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड सक्रिय हो जाएगा।
- 33.13 किसी भी समय एक कार्डधारक को केवल एक ही सिक्क्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

#### 34. वार्षिक शुल्क में परिवर्तन

- 34.1 ध्यान में लिए जाने वाले वर्ष, पहला बिल उत्पन्न होने की तारीख से 12 महीने के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 34.2 खर्च की गणना व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत लेन-देन की तारीख के आधार पर की जाएगी।
- 34.3 यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान लेन-देन की तारीख को लेन-देन करने की वास्तविक तारीख से अलग दर्शाता है, तो RBL बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- 34.4 पात्र खरीद मूल्य में क्रेडिट कार्ड पर लोन, डायल-एन-EMI, बैलेंस रूपांतरण और बैलेंस ट्रांसफर प्रोग्राम, नकद निकासी, शुल्क, शुल्क और सेवा कर से संबंधित सभी EMI शामिल नहीं होंगे।
- 34.5 किसी भी विवादित लेनदेन को योग्य खरीद मूल्य गणना के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा। व्यापारी से प्राप्त रिफंड को योग्य खरीद मूल्य गणना में नकारात्मक समायोजन के रूप में माना जाएगा।

#### तृतीय पक्ष के ऑफ़र के लिए अस्वीकरण:

RBL बैंक, पार्टनर सहित तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए ऑफ़र/उत्पाद/सेवाओं के संबंध में न तो गारंटी देती है और न ही कोई प्रतिनिधित्व करती है। किसी तीसरे पक्ष की वेबसाइट से खरीदे गए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न, शिकायत, मुद्दे और/या फीडबैक के लिए, कार्डमेम्बर सीधे तीसरे पक्ष से ही व्यवहार करेगा। लाभ/सेवाएँ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे लाभ/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

## उत्पाद के लाभ

उत्पाद के विशिष्ट लाभों और संबंधित नियमों और शर्तों के लिए, कृपया क्रेडिट कार्ड अनुभाग के अंतर्गत [www.rblbank.com](http://www.rblbank.com) पर जाएं।

## उत्पाद विशिष्ट नियम और शर्तें:

उत्पाद विशिष्ट नियमों और शर्तों के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।

कार्ड	उत्पाद-विशिष्ट नियम और शर्तों की लिंक
आइकन	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
वर्ल्ड सफारी	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्लैटिनम मैक्सिमा	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्लैटिनम मैक्सिमा प्लस	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
पॉपकॉर्न	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
मूवीज़ एन्ड मोर	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्लैटिनम डिलाइट	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
टाइटेनियम डिलाइट	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
कुकीज़	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
मंथली ट्रीट्स	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
पैसाबाज़ार ड्रुएट	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
पैसाबाज़ार ड्रुएट प्लस	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्ले	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
शॉपरेट	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
मनीटैप	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
वीकार्ड	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
सेवमैक्स	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
सेवमैक्स प्रो	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
मनीटैप ब्लैक	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
लेजीपे	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
आईग्लोब	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
पार्क+	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
रिंग	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
DMI फाइनेंस	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें
इनसिगनिया	<a href="#">नियम और शर्तें</a> देखने के लिए यहां क्लिक करें

[www.rblbank.com](http://www.rblbank.com)

.....  
**RBL बैंक लिमिटेड**

कार्ड का ऑपरेटिंग सेंटर: यूनिट 306-311, तीसरी मंजिल, जेएमडी मेगापोलिस, सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुडगांव - 122 018, हरियाणा।  
पंजीकृत कार्यालय: पहली लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर - 416 001, भारत। CIN: L65191PN1943PLC007308